न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 42 / 2015

1. श्री कुन्दनसिंह पुत्र श्री मगनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रामपुरानांद तहसील पुष्कर जिला–अजमेर।
2. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री मगनसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामपुरा नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर। .....**अपीलान्ट्स**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर। ..... **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री निर्मलकुमार नौरतमल जैन अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक

दिनांक :– 11.07.2019

आदेश

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2072 में अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम रामपुरा–नांद तहसील पुष्कर जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 130 रकबा 0.27 हैक्ट0 किस्म गैर मु0रास्ता मे से 0.18 हैक्ट0 पर अनाधिकृत रूप से फसल मूंग काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आश्य की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार पुष्कर द्वारा अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 157 / 2015 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 15.10.2015 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमियों की विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा सरकार करने के साथ ही शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 15.10.2015 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

हमने उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस पर अपीलान्ट्स स्वयं उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन भूमि पर अतिक्रमण किये जाने बाबत कोई स्वीकारोक्ति नहीं दी गई। अपीलार्थीगण ग्रामीण, अनपढ कृषक है जिनके अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाते हुए आगामी पेशी की सूचना हेतु कह कर अतिक्रमण स्वीकारोक्ति के कथन दर्शाया जाना कतई गलत है। बहस जारी रखते हुए वकील अपीलान्ट्स ने आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश 15.10.15 को जारी किया गया, इसके बाद ही फसल जब्ती, नीलामी की कार्यवाही होनी चाहिए जबकि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 14.10.2015 को ही फसल निलामी की कार्यवाही कर दी गई जो अधिनस्थ अधिकारी की मानसिकता को दर्शाता है, ऐसे अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही प्रस्तावित होनी चाहिए। अपीलाधीन भूमि चौसाला जमाबन्दी के अनुसार उनकी पुश्तैनी दादा की खातेदारी भूमि है जिसके वर्किंग खसरा

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

नम्बर 193 बने है तथा वर्तमान खसरा नम्बर 130 रकबा 0.27 हैक्ट0 है। खसरा नं0 129, 130, एवं 131 एक चक की भूमि है, मौके पर रास्ता नहीं है। मौके पर भूमि समतल है जिस पर पुश्तैनी समय से निरन्तर काश्त की जाती रही है, जो कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2015-2016, 2019, 2020-21, से साबित है। अंतिम चौसाला जमाबन्दी के अनुसार अपीलाधीन भूमि पुश्तैनी खातेदारी भूमि होने के बावजूद भू-प्रबंध विभाग के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर त्रुटिपूर्ण रूप से सिवाय चक दर्ज कर दी गई। जिसका इन्द्राज तुरन्त ही, हक खातेदारी की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति बाबत राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय, अजमेर के समक्ष बउनवानिक श्रीमती मानकंवर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार, प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सूचना रेस्पोडेन्ट को होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिक प्रकिया के तहत साक्ष्य व जिरह का अवसर प्रदान किये बिना तथा पटवारी हल्का की साक्ष्य लिपिबद्ध किये बिना पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 15.10.2015 प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2015 निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट्स की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिकमियों को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार भी किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है। अतिकमियों द्वारा राजकीय (गै0मु0 रास्ता) भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2015 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.07..2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner